बिहार सरकार

मुख्यमंत्री राहत कोष

न्यासी पर्षद की 15वीं बैठक

दिनांक– 22.01.2016

कार्यवाही

क्र0 सं0	प्रस्ताव	न्यासी पर्षद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सम्पुष्ट किया गया।
2.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
3.	पिछले न्यासी पर्षद की दिनांक 09.04.2015 को 14वीं बैठक के उपरांत दिनांक 12.01.2016 तक राज्य के **244** (दो सौ चौवालीस) निर्धन–सह–मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की गयी **कुल 46,74,962/–रूपये** की आर्थिक सहायता की सूचना न्यासी पर्षद को दी गयी।	सूचना ग्रहण किया गया। निर्णय हुआ कि फैशन टेक्नोलॉजी, एविएशन व प्रबंधन (आई0आई0एम0) कोर्स में नामांकन हेतु राशि देय नहीं होगी।
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A (A) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष का निबंधन कराने हेतु फार्म–10A संलग्न करते हुए आयकर आयुक्त (छूट), बिहार एवं झारखण्ड, पटना को पत्रांक–471996 दिनांक 29.09.2015 द्वारा पत्र भेजा गया। दिनांक 08.12.2015 को मुख्यमंत्री राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत निबंधन प्राप्त हो गया है। T.D.S. कटौती की राशि वापस कराने हेतु सदस्य सचिव को प्राधिकृत किए जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत।
5.	मुख्यमंत्री राहत कोष की बैंकों में रखी संचित निधि को वैसे बैंकों में बचत खाता–सह–फिक्स्ड डिपोजिट खाते में रखे जाने का प्रस्ताव है, जिनमें सर्वाधिक ब्याज–दर प्राप्त हो। यह राशि एक वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपोजिट की जायेगी और अवधि के सामप्त होने के उपरांत पुनः सर्वाधिक ब्याज–दर उपलब्ध कराने वाले बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट की जायेगी। बचत खाता–सह–फिक्स्ड डिपोजिट खाते में 10 प्रतिशत राशि बचत खाते में तथा शेष 90 प्रतिशत फिक्स्ड रहेगी, इससे राहत कोष से वितरित होने के लिए भी राशि की उपलब्धता साल भर बनी रहेगी। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री राहत कोष का फंड मैनेज करने के लिए अधिकृत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। **2.** अतः मुख्यमंत्री राहत कोष की संचित निधि में से 10 प्रतिशत राशि को बचत खाता में तथा 90 प्रतिशत राशि को FIXED DEPOSIT में उच्चतम ब्याज दर देय बैंक में रखे जाने की वित्त विभाग की सहमति के आलोक में प्रत्येक वर्ष के जनवरी में उच्चतम ब्याज–दर देनेवाले बैंक में राशि रखने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की स्वीकृति प्रार्थित है।	स्वीकृत।
6.	वर्ष 2012 में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित 4 जिलों के मृत शेष बच्चों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनके निकटतम अभिभावकों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के आलोक में 4 जिला के (मुजफ्फरपुर–14, सीतामढ़ी–1, पूर्वी चम्पारण–1,	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी से विलंब से सूचना प्राप्त होने के कारण पिछली बैठक में नहीं रखा जा सका। तदोपरांत प्रस्ताव स्वीकृत।

	गया–9) कुल 25 मृत बच्चों के संदर्भ में मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल 12.50 लाख (बारह लाख पचास हजार) रूपये का चेक संबंधित जिला पदाधिकारियों को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	
7.	वर्ष 2013 में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित जिलों के मृत बच्चों के निकटतम अभिभावकों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा तय नीति के तहत 8 जिला के (मुजफ्फरपुर–39, सीतामढ़ी–6, पूर्वी चम्पारण–10, वैशाली–2, औरंगाबाद–2, प0 चम्पारण–2, शिवहर–3, गया–3) कुल 67 मृत बच्चों के संदर्भ में मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल 33.50 लाख (तैंतीस लाख पचास हजार) रूपये का चेक संबंधित जिला पदाधिकारियों को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी से विलंब से सूचना प्राप्त होने के कारण पिछली बैठक में नहीं रखा जा सका। तदोपरांत प्रस्ताव स्वीकृत।
8.	वर्ष 2014 में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित जिलों के मृत बच्चों के निकटतम अभिभावकों को 50,000/–रूपये प्रति मृतक की दर से मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के आलोक में 8 जिला के (मुजफ्फरपुर–89, सीतामढ़ी–36, पूर्वी चम्पारण–19, समस्तीपुर –7, वैशाली–6, औरंगाबाद–1, प0 चम्पारण–1, शिवहर–1) कुल 160 मृत बच्चों के संदर्भ में मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल 80.00 लाख (अस्सी लाख) रूपये का चेक संबंधित जिला पदाधिकारियों को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी से विलंब से सूचना प्राप्त होने के कारण पिछली बैठक में नहीं रखा जा सका। तदोपरांत प्रस्ताव स्वीकृत।
9.	दिनांक 03.08.2014 को बाँका जिला के बेलहर प्रखण्ड के साहेबगंज ग्राम में विद्युत स्पर्शाघात के कारण झारखण्ड राज्य (बोकारो) के 6 कॉवरियों की हुई मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 1.00 लाख रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल 6.00 लाख रूपये की राशि का चेक जिला पदाधिकारी, बाँका को दिनांक 01.07.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि चूँकि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के स्तर से स्वीकृति देते हुए राशि दी जा चुकी है, इसलिए इसे प्रतिबद्ध देनदारी (committed liability) मानते हुए घटनोत्तर स्वीकृति दी जा रही है।
10.	दिनांक 03.10.2014 को विजयादशमी में रावणवध के दौरान गाँधी मैदान, पटना में हुई भगदड़ में कुल 33 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 1.50 लाख रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल 49.50 लाख रूपये की राशि का चेक जिला पदाधिकारी, पटना को दिनांक 11.02.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत। न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि चूँकि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के स्तर से स्वीकृति देते हुए राशि दी जा चुकी है, इसलिए इसे प्रतिबद्ध देनदारी (committed liability) मानते हुए घटनोत्तर स्वीकृति दी जा रही है।

11/2

11.	दिनांक 10.01.2015 को श्री राजदेव बिन्द, ग्राम–महदीपर, पो0–पण्डौल, थाना–शकुरावाद, जिला–जहानाबाद से उनके पुत्र रवि कुमार के मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में एम0ए0 की पढ़ाई हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 9 (डी) में निहित प्रावधान के तहत मुख्य मंत्री राहत कोष से स्वीकृत 10,000/–रू0 (दस हजार) रूपये की राशि का चेक छात्र को दिनांक 01.07.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि चूँकि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के स्तर से स्वीकृति देते हुए राशि दी जा चुकी है, इसलिए इसे प्रतिबद्ध देनदारी (committed liability) मानते हुए घटनोत्तर स्वीकृति दी जा रही है।
12.	दिनांक 24.01.2015 को रोहतास जिला के सासाराम अवस्थित मु0 आलमगंज (चलनियाँ) में दो गुटों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी एवं मारपीट की घटना में 1 व्यक्ति की मृत्यु एवं 17 घायल व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में 1 मृतक के आश्रित को 5.00 लाख रूपये एवं प्रति घायल व्यक्तियों को 50,000/–रू0 की दर से कुल 8.50 लाख रूपये यानी कुल 13.50 लाख रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी, रोहत इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	न्यासी पर्षद को सूचित किया गया कि चूँकि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के स्तर से स्वीकृति देते हुए राशि दी जा चुकी है, इसलिए इसे प्रतिबद्ध देनदारी (committed liability) मानते हुए घटनोत्तर स्वीकृति दी जा रही है। लेकिन इस मामले के निर्णय को अपवाद माना जायेगा जो भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं होगा।
13.	दिनांक 04.03.2015 को सीतामढ़ी जिला से मधुबनी जिला भटककर आए हाथी के कुचलने से मधुबनी जिला के दो व्यक्तियों के मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 2.00 लाख रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर आश्रितों के नाम से निर्गत कुल 4.00 लाख रूपये की राशि का चेक जिला पदाधिकारी, मधुबनी को दिनांक 28.08.2015 को भेजा गय। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
14.	दिनांक 12.03.2015 को कैमुर जिलान्तर्गत भभुआ अंचल के वार्ड नं0–14 में मकान के छज्जा गिरने के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 50,000/– रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कुल इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
15.	दिनांक 26.03.2015 को कैमूर जिला का चैनपुर अंचल अन्तर्गत ट्रैक्टर पलट जाने के कारण 04 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचारोपरांत मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 50,000/–रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 2.00 लाख रूपये की राशि का चेक जिला पदाधिकारी, कैमूर को दिनांक 28.08.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।

11/2

16.	दिनांक 25.04.2015 को नेपाल में आई विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित परिवारों के निष्कासन, खाद्य एवं अन्य जीवनोपयोगी सामग्रियों तथा राहत शिविर के संचालन हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से कुल 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये की राशि स्वीकृत कर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 30.04.2015 को भेजी गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत। न्यासी पर्षद को सूचना दी गई कि आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–301, दिनांक–21.01.2016 द्वारा रू0 5.00 करोड़ की राशि खर्च न होने की स्थिति में वापस की गयी है। न्यासी पर्षद द्वारा उक्त सूचना को ग्रहण किया गया।
17.	दिनांक 25.04.2015 को आये भूकम्प में नेपाल की रहने वाली चन्द्रज्योति देवी, पति–श्री देव नारायण महतो, ग्राम+थाना– भरहतवा, नेपाल की मृत्यु सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखण्ड में होने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत एवं मृतक के पति के नाम से निर्गत 4.00 लाख रूपये का चेक भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को दिनांक 16.07.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
18.	दिनांक 14.08.2015 को जमशेदपुर (झारखण्ड) में हुई सड़क दुर्घटना में सिवान जिला के कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 4.00 लाख रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 48.00 लाख रूपये स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी, सिवान को चेक दिनांक 17.08.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
19.	दिनांक 25.04.2015 को नेपाल में आये भूकम्प में पीड़ितों के सहायतार्थ प्राप्त राशि को अलग लेखाशीर्ष खोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में राशि 14,41,42,552/–रू0 भेजने हेतु उक्त राशि का चेक प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, भारत सरकार को दिनांक 09.09.2015 को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
20.	तमिलनाडु राज्य में भारी वर्षा के कारण आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निर्देशानुपालन में तमिलनाडु राज्य को मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से कुल 05.00 करोड़ (पाँच करोड़) रूपये की स्वीकृति कर दिनांक 03.12.2015 को उक्त राशि का चेक माननीया मुख्यमंत्री, तमिलनाडु भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।

11/2

21.	राज्यपाल के प्रधान सचिव–मानद सचिव, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, बिहार राज्य शाखा, पटना द्वारा नेपाल भूकंप पीड़ितों को राहत साम्रगी, मेडिकल टीम, दवा, तिरपाल एवं टेंट आदि भेजने में कुल 17,60,678/–रू0 व्यय की सूचना देते हुए उक्त राशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव न्यासी पर्षद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ उपस्थापित।	न्यासी पर्षद द्वारा संबंधित प्रतिपूर्ति की मांग को आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करने का निर्णय हुआ।
22.	मुख्यमंत्री राहत कोष का WEB PORTAL विकसित किया जा रहा है। उक्त WEB PORTAL में दानदाताओं द्वारा ऑन लाईन दान (ONLINE DONATION/PAYMENT) की व्यवस्था होगी। इस हेतु IDBI BANK LTD. द्वारा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। तदनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रस्तावित WEB PORTAL में PAYMENT GATEWAY की सुविधा शमिल करने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की अनुमति प्रार्थित है।	स्वीकृत।
23.	कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से दिनांक 29.08.2013 को राज्य स्वास्थ्य समिति को विमुक्त राशि–10.00 करोड़ रू0 के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रभावित जिलों को विमुक्त की गयी राशि–15274400/–रू0 में उक्त जिलों से प्राप्त अद्यतन व्यय प्रतिवेदन–1031000/–रू0 है तथा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पास शेष राशि – 84725600/–रू0 है। न्यासी पर्षद के सूचनार्थ।	न्यासी पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।
24.	कोशी बाढ़ 2008 में दानदाताओं से प्राप्त कुल राशि 2508205241/–रू0 (ब्याज सहित)। व्यय हेतु आवंटित राशि 1804948842/–रू0 दी गयी परन्तु कोशी बाढ़ प्रभावित जिलों के द्वारा 158475233/–रू0 वापस लौटा दी गई। न्यासी पर्षद की बैठक दिनांक 04.01.2012, 25.03.2013 तथा 29.09.2014 के लिए लेखा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत लेखा विवरणी से ज्ञात होता है कि लगभग 8.00 करोड़ रू0 बचत खाता में तथा शेष राशि सावधि जमा में है। न्यासी पर्षद के सूचनार्थ।	न्यासी पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।
25.	वर्ष 2015 में नेपाल भूकम्प पीड़ितों के राहत एवं पुर्नवास हेतु दानदाताओं से प्राप्त कुल राशि 144142552/–रू0, जिसे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को दिनांक 09.09.2015 को भेजा गया। तत्पश्चात् प्राप्त राशि 898828/–रू0 को नेपाल भूकम्प पीड़ितों के सहायता हेतु पुनः प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। न्यासी पर्षद के सूचनार्थ।	न्यासी पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया। न्यासी पर्षद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अब नेपाल भूकम्प का खाता बंद किया जाए और इस मद में दान न लिया जाए।
26.	दिनांक 14.08.2015 को जमशेदपुर (झारखण्ड) में सड़क दुर्घटना में गोपालगंज जिला की एक मृतका स्व0 प्रीति कुमारी के अभिभावक (पिता) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के	स्वीकृत।

11/2

	आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 4.00 लाख (चार लाख) रू0 अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। राशि भेजने की प्रक्रिया की जा रही है । न्यासी पर्षद के सूचनार्थ।	
27.	**दिनांक 09.04.2015 को न्यासी पर्षद की बैठक में निम्नांकित प्रस्तावों पर सदस्य–सचिव को समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया था :–** (I) समीक्षोपरांत दिनांक 10.01.2013 को औरंगाबाद जिला के ग्राम–तिताई बिगहा, प्रखण्ड–देव में हुई ट्रक दुर्घटना में झारखण्ड राज्य के कुल 25 व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 50,000/– रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 12.50 लाख रूपये स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को चेक दिनांक 06.07.2015 को भेजा गया। (II) समीक्षोपरांत गया जिला के टिकारी थानान्तर्गत थाना काण्ड संख्या–106/2000, दिनांक 19.08.2000 में राम प्रवेश मांझी, पिता–श्री रघुनाथ मांझी, सा0–पुरा की हुई हत्या के उपरांत आश्रिता अनार देवी को कुल 2.00 लाख रू0 की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी, गया को चेक दिनांक 13.07.2015 को भेजा गया। (III) समीक्षोपरांत दिनांक 13.09.2014 को गया जिला के आमस अंचल अन्तर्गत जी0टी0 रोड किनारे हुई सड़क दुर्घटना में कुल 03 व्यक्तियों के मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के आश्रितों को प्रति मृतक 1.00 लाख रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 3.00 लाख रूपये स्वीकृत कर जिला पदाधिकारी, गया को चेक दिनांक 01.07.2015 को भेजा गया। (IV) समीक्षोपरांत दिनांक 12.01.2015 को आयोजित ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम में उपस्थित विकलांग छात्र श्री ओंकार कुमार द्विवेदी, पिता–श्री बिरेन्द्र द्विवेदी, ग्राम–सुजानचक,पो0–डंगरा, थाना–मोहनपुर, जिला–गया के आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को अनुलग्नक सहित मूल में निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना को भेजा गया। (V) समीक्षोपरांत दिनांक 21.01.2015 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री के आप्त सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में छात्र श्री राज कुमार, पिता–श्री सुदीश कुमार, ग्राम–महकार, पो0–सपनेरी, प्रखण्ड–खिजरसराय, जिला–गया के आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर आवेदक को सूचित किया गया।	न्यासी पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

11/2

	(VI) समीक्षोपरांत दिनांक 29.01.2015 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा अनुशंसित विकलांग छात्र श्री आनन्द प्रकाश, पिता–श्री ओम प्रकाश मंडल, ग्राम–बड़ी दरियापुर, पो0–जमालपुर, जिला–मुँगेर को आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को अनुलग्नक सहित मूल में निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना को भेजा गया। उपरोक्त 27 (I) से 27 (VI) पर्षद के सूचनार्थ।	
28.	**अन्यान्य :–** (I) न्यासी पर्षद का निर्णय हुआ कि समीक्षोपरांत कोशी बाढ़ से संबंधित खाते में बची राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष के मुख्य खाते में समाहित कर लिया जाय तथा कोशी राहत खाते को विलोपित किया जाय। (2) न्यासी पर्षद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मृत्यु के वैसे मामलों में जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह राशि दी जाती है, वहाँ विशेष परिस्थति में भी अधिकतम रु0 एक लाख तक की सहायता दी जाएगी।	

11/2/16

(चंचल कुमार)
सदस्य–सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्य मंत्री राहत कोष, बिहार